



UPSN060005572014

न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) द्वितीय, भदोही-ज्ञानपुर
पीठासीन अधिकारी (शिंजिनी यादव) (उ० प्र० न्यायिक सेवा-UP03473)

मूल वाद संख्या-650 सन् 2010

1. पान कुमारी उम्र त० 68 साल पत्नी बाकेलाल निवासी बहुतरा खुर्द ता० असनांव परगना भदोही तहसील औराई जिला संत रविदास नगर भदोही हाल मुकाम नेवादा खुर्द ता० चौथार परगना व तहसील भदोही जिला संत रविदास नगर भदोही।

.....वादिनी

बनाम

1. हरिशंकर उम्र त० 55 साल पुत्र विजयी
2. श्यामा देबी उम्र त० 54 साल पत्नी हरिशंकर

निवासीगण मलेपुर ता० चौथार परगना व तहसील भदोही जिला संत
रविदास नगर भदोही।

.....प्रतिवादीगण

-निर्णय-

1. प्रस्तुत दावा वादिनी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध बैनामा दिनांकित 03/11/2010 और वसीयतनामा दिनांकित 03/11/2010 की मंसूखी एवं हुकुम इम्तिनाई के अनुतोष हेतु योजित किया गया है।
2. संक्षेप में वादपत्र 4 क के माध्यम से वादिनी द्वारा कथन किया गया है कि चतुरी पुत्र कालू निवासी नेवादा खुर्द ता० चौथार परगना व तहसील भदोही जिला संत रविदास नगर भदोही की दो लड़कियां वादिनी पानकुमारी व प्रतिवादिनी सं-2 श्यामा देबी है और चतुरी की एक मात्र जायज व कानूनी वारिस है और चतुरी की जमीन जायदाद पर बतौर मालिक वारिस काबिज दाखिल चली आ रही है। वादिनी विवादित आराजियत की तफसील वाद पत्र के अंत में मुंदर्ज करती है, विवादित आराजियत मुंदर्ज जैल अर्जी नालिश हाजा वादिनी व प्रतिवादिनी सं० -2 की मिल्कियत भूमिधरी है जिस पर वादिनी व प्रतिवादिनी सं०-2 बतौर मालिक संक्रमणीय भूमिधर काबिज दाखिल चली आ रही है। वादिनी व प्रतिवादिनी सं०-2 आपस में

सगी बहने है। वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 के पिता चतुरी की मृत्यु लंबी बीमारी के पश्चात दिनांक 06/11/2010 को हो गयी। वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 को कोई भाई नहीं है। वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 की मां वादिनी के पिता चतुरी के जीवनकाल में ही वफात कर गयी। वादिनी के पिता चतुरी की मृत्यु करीब 93 वर्ष की अवस्था में हुई। वादिनी के पिता के जीवनकाल में ही वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 अपने मायके अपने पिता चतुरी के शामिल सरीक रहकर उक्त चतुरी की सेवा टहल करती रही और चतुरी के जीवनकाल से ही वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 आराजियत निजाई मुंदर्ज जैल अर्जी नालिश हाजा को काश्त करती चली आ रही है। चूंकि वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 सगी बहने है और दोनों बारी बारी से अपने पिता चतुरी की सेवा टहल अपने ससुराल से आकर मायके में रहकर करती रही और खेती बारी का प्रबंध करती रही। वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 को चतुरी समान रूप से व्यवहार करते रहे और उनकी दिली इच्छा यही थी कि उनके मृत्यु के पश्चात उनकी जमीन जायदाद की वारिस उनकी दोनों लड़कियां हों। इसी लिहाज से चतुरी ने स्वयं एक किता दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 16/11/2007 को वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 के हक में स्वेच्छया तहरीर करके मुसद्दक रजिस्ट्री करा दिये बादहू पिता वादिनी चतुरी ने एक किता अंतिम वसीयतनामा वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 के हक में अपनी सारी चल व अचल संपत्ति के सम्बन्ध में स्वयं दिनांक 07/01/2008 को तहरीर करके मुसद्दक रजिस्ट्री करा दिया और वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 को अपना जायज व कानूनी वारिस छोड़कर वफात कर गये। वादिनी व प्रतिवादिनी के पिता चतुरी मृत्यु के 4-5 महीने पहले से बुजुर्गी अवस्था होने के कारण अपनी यादगारी व पहचान खो चुके थे और वे अपने अच्छा बुरा के बारे में कोई समझदारी नहीं रखते थे केवल चारपायी पर पड़े रहते थे और उन्हें आंख से कम दिखायी देता था और कान से कम सुनायी देता था। वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 चतुरी की सेवा टहल दवा इलाज आदि का प्रबंध करती रही। प्रतिवादी संख्या-1 हरिशंकर प्रतिवादिनी संख्या-2 श्यामा के पति है और वे चालाक किस्म के व्यक्ति है। प्रतिवादी संख्या-1 हरिशंकर ने वादिनी के पिता चतुरी को इलाज के बहाने रजिस्ट्री दफ्तर भदोही ले जाकर बिना किसी प्रतिफल के, बिना चतुरी को कोई जानकारी दिये उनके गैर जानकारी में आराजियत निजाई मुंदर्ज जैल नक्शा नजरी अर्जी नालिश हाजा का बसाजिश कातिव व गवाहान अपने नाम से दिनांक 03/11/2010 को दस्तावेज बैनामा तहरीर किया। उसी दिन

दिनांक 03/11/2010 को प्रतिवादी संख्या-1 ने चतुरी को धोखा देकर चतुरी की चल-अचल संपत्ति का वसीयतनामा अपने नाम से हासिल कर लिया। प्रतिवादी संख्या-1 ने एक भी हिब्बा चतुरी को दस्तावेज बैनामा के एवज में नहीं दिया था, न तो मुतवफी चतुरी को रुपये की आवश्यकता ही थी न ही चतुरी दिनांक 03/11/2010 को चेतना अवस्था में ही थे। प्रतिवादी संख्या-1 इलाज का बहाना बनाकर चतुरी को भदोही रजिस्ट्री दफ्तर लाकर बसाजिश कातिव व गवाहान आराजियत निजाई मुंदर्ज जैल अर्जी नालिश हाजा का दस्तावेज बैनामा प्रतिवादी संख्या-1 ने हासिल कर लिया जिसके कायम रहने से सरीही हकतलफी वादिनी है। आराजियत मुंदर्ज जैल अर्जी नालिश हाजा में 1/2 हिस्से की मालिक वादिनी और 1/2 हिस्से की मालिक प्रतिवादिनी संख्या-2 है। आराजियत मुंदर्ज जैल अर्जी नालिश हाजा पर वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 बतौर मालिक संक्रमणीय भूमिधर काबिज दाखिल चली आ रही है और काशत करती है। चतुरी वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 के शामिल सरीक रहकर वफात कर गये और चतुरी का अंतिम संस्कार तेरही वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 ने किया। प्रतिवादीगण ने चतुरी के जीवन काल में किसी बैनामें व वसीयतनामा बैनामें का कोई जिक्र वादिनी से नहीं किया। चतुरी की तेरही बीत जाने के पश्चात प्रतिवादी संख्या-1 गांव में जाकर जगह-जगह कहने लगा कि वह आराजियत मुंदर्ज जैल अर्जी नालिश हाजा को बिक्री करेगा तो वादिनी को जानकारी होने पर वादिनी ने प्रतिवादी संख्या-1 से कहा कि कैसे आराजियत मुंदर्ज जैल अर्जी नालिश हाजा के बैनामें की बातचीत कर रहे हैं, पहले प्रतिवादीगण हीलाहवाली किये इसके 3-4 दिन बीत जाने के बाद वादिनी से प्रतिवादीगण ने कहा कि वे आराजियत मुंदर्ज जैल अर्जी नालिश हाजा का बैनामा चतुरी से हासिल कर लिए है इसीलिए वे आराजियत निजाई को बिक्री करेंगे और वादिनी को विवादित आराजियत मुंदर्ज जैल अर्जी नालिश हाजा से बेदखल कर देंगे तो वादिनी दिनांक 02/12/2010 को रजिस्ट्री दफ्तर जाकर मुआइना करायी तो मुआइना से पता चला कि आराजियत मुंदर्ज जैल अर्जी नालिश हाजा का दस्तावेज बैनामा दिनांकित 03/11/2010 प्रतिवादी संख्या-1 ने अपने नाम से धोखाधड़ी करके चतुरी से हासिल कर लिया तो उसी दिन नकल की दरखास्त दिया और वादिनी को दस्तावेज बैनामा की नकल दिनांक 04/12/2010 को प्राप्त हो गयी तो प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा की गयी जाली फर्जी धोखाधड़ीपूर्ण कार्यवाही की जानकारी हुई, जानकारी होने के बाद वादिनी ने प्रतिवादीगण से कहा कि प्रतिवादी संख्या-1

ने जो चतुरी से धोखाधड़ी करके दस्तावेज बैनामा हासिल कर लिये है उसे मंसूख करा देवें तो प्रतिवादीगण ने वादिनी को धमकी दिया कि वे वादिनी को आराजियत मुंदर्ज जैल अर्जी नालिश हाजा से बेदखल कर देंगे और आराजियत मुंदर्ज जैल अर्जी नालिश हाजा को दिगर असखास के हक में बय बेची कर देंगे, मना करने पर बाज आने से कत्तई तौर पर इंकार कर दिये। ऐसी परिस्थिति में दावा दाखिल करने की आवश्यकता अंदर हदूद अर्जी इलाका अदालत हाजा पैदा हुई और अदालत हाजा को अख्तियार समायत हासिल है। दस्तावेज बैनामा दिनांक 03/11/2010 व वसीयतनामा दिनांक 03/11/2010 के कायम रहने से हकतलफी वादिनी है और दस्तावेज बैनामा से वादिनी के हक पर क्लाउड बना हुआ है जिसका न्याय की दृष्टि से निरस्त किया जाना आवश्यक है। दस्तावेज बैनामा दिनांक 03/11/2010 व वसीयतनामा दिनांक 03/11/2010 निम्न आधारो पर मंसूख किये जाने योग्य है।

(क) प्रतिवादी संख्या-1 जो कि मुतवफी चतुरी का दामाद है उसने चतुरी के बीमारी अवस्था में इलाज के लिए भदोही लाकर बसाजिश कातिव व गवाहान बिना किसी प्रतिफल के जाली फर्जी ढंग से धोखाधड़ी करके आराजियत निजाई मुंदर्ज जैल अर्जी नालिश हाजा के निस्वत दस्तावेज बैनामा हासिल किया है।

(ख) बरवक्त दस्तावेज बैनामा दिनांक 03/11/2010 चतुरी को न तो रूपये की कोई आवश्यकता थी, न तो प्रतिवादी संख्या-1 ने चतुरी को मु० 2,00,000/- रु० अदा किया और न तो प्रतिवादी संख्या-1 की मु० 2,00,000/- अदा करने की कोई हैसियत थी। इस प्रकार दस्तावेज बैनामा दिनांक 03/11/2010 बिना किसी प्रतिफल के है और नल एण्ड वॉयड है।

(ग) मुतवफी चतुरी देहात क्षेत्र के रहने वाले अशिक्षित व्यक्ति थे, बुढ़े जईफ हो चुके थे बरवक्त दस्तावेज बैनामा उनकी उम्र लगभग 93 वर्ष थी। वह 4-5 महीने से सख्त बीमार थे, चारपायी पर पड़े रहते थे, दमा के रोगी थे उनके सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो चुकी थी अर्धचेतना अवस्था में रहते थे, न कान से सुनते थे, न बोलते थे, न आँख से देखते थे इसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या-1 ने विश्वासघात करके कातिव व गवाहान व रजिस्ट्री दफ्तर के अहलकारान से साजिश करके बिना मुतवफी चतुरी को कोई बात बताये, सुनाये, समझाये, दस्तावेज बैनामा व वसीयतनामा पर उनका निशान अंगूठा ले लिया और धोखाधड़ी करके दस्तावेज बैनामा व वसीयतनामा दिनांक 03/11/2010 को आराजियत निजाई के निस्वत तहरीर करा लिया।

(घ) आराजियत निजाई पर वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 का संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य है उस पर कोई कब्जा दखल प्रतिवादी संख्या-1 का नहीं है।

(ङ) दस्तावेज बैनामा व वसीयतनामा नियमानुसार न प्रजेंटेड है, न पंजीकृत है।

(च) प्रतिवादी संख्या-1 ने दिनांक 03/11/2010 को चतुरी से दस्तावेज वसीयतनामा भी लिखवाया है जो स्वयं विरोधाभासी है और दोनों दस्तावेजात प्रतिवादीगण ने धोखा करके हासिल किया है।

वाद का कारण अफवाहन जानकारी होने पर जब वादिनी रजिस्ट्री दफ्तर भदोही जाकर मुआइना करके दिनांक 04/12/2010 को दस्तावेज बैनामा दिनांक 03/11/2010 की नकल प्राप्त किया तो उससे जानकारी प्राप्त करने पर वादिनी ने प्रतिवादी संख्या-1 को कहा व कहलवाया कि वह दस्तावेज बैनामा दिनांक 03/11/2010 को मंसूख करा देवें और उसके आधार पर आराजियत निजाई में कोई हक जाहिर न करें लेकिन वहां सुनवाई नहीं हुई और दिनांक 15/12/2010 को दस्तावेज बैनामा मंसूख कराने से कत्तई तौर पर इंकार कर दिया और आराजियत निजाई मुंदर्ज जैल अर्जी नालिश हाजा को दिगर असखास को बय बेची करने की व वादिनी को उससे बेदखल करने की धमकी दिया, मना करने पर बाज आने से कत्तई तौर पर इंकार कर दिया। ऐसी परिस्थिति में दावा दाखिल करने की आवश्यकता न्यायालय के अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत उत्पन्न हुई और अदालत हाजा को अख्तियार समायत हासिल है। उपरोक्त वाद दाखिल होने के पश्चात प्रतिवादीगण ने माह अगस्त सन् 2011 में जवाबदेही दाखिल की और जवाबदेही में यह उल्लिखित किया कि जिस दिन दस्तावेज बैनामा दिनांक 03/11/2010 को प्रतिवादी संख्या-1 ने चतुरी से हासिल किया उसी दिन उसने चतुरी से उनकी चल अचल संपत्ति का वसीयतनामा भी अपने नाम हासिल किया उस जवाबदेही पढवाने से वादिनी को वसीयतनामा की जानकारी हुई वादिनी ने प्रतिवादीगण से दस्तावेज वसीयतनामा को मंसूख कराने के लिए कहा लेकिन व दिनांक 28/11/2011 को इंकार कर दिया तो वादिनी को उसी दिन दस्तावेज वसीयतनामा की नकल की दरखास दिया जिसकी नकल दिनांक 30/11/2011 को प्राप्त हुई तो प्रतिवादीगण द्वारा की गयी जाली फर्जी धोखाधड़ी की जानकारी हुई। प्रतिवादीगण द्वारा दस्तावेज वसीयतनामा को मंसूख कराने से इंकार कर देने पर दस्तावेज वसीयतनामा मंसूखी के लिए भी अनुतोष मांगा जा रहा है। प्रतिवादीगण आराजियत निजाई से वादिनी को बेदखल कर देते है तो उससे अपूर्तिनीय क्षति

वादिनी को होगी जिसकी क्षतिपूर्ति हरगिज रूप्यों से नहीं हो सकती है। तायून नालिश बगरज आख्तियार समायत कोर्ट फीस आराजियत निजाई कृषि भूमि है जिसकी लगान लगती है जिसका एक साला लगान मु० 22 रू० है जिसका 30 गुना 660 रू० है जिस पर मु० 101 रू० कोर्ट फीस बावत दस्तावेज बैनामा मंसूखी व मु० 20 रू० दस्तावेज वसीयतनामा मंसूखी कोर्ट फीस बावत हुकुम इम्तिनाई दवामी अदा किया जाता है। वादिनी निम्नलिखित निवेदन करती है—

क- बसदूर डिग्री दस्तावेज बैनामा मंसूखी व दस्तावेज वसीयतनामा बहक वादिनी विरुद्ध प्रतिवादिनी संख्या-1 इस आशय से सादिर फरमायी जावें कि आराजियत निजाई मुंदर्ज जैल अर्जी नालिश हाजा के निस्वत तहरीर दस्तावेज बैनामा व दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 03/11/2010 निवस्तः चतुरी मौसूमा प्रतिवादी संख्या-1 हरिशंकर जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 03/11/2010 को रजिस्ट्री दफ्तर भदोही में हुई है को मंसूख किया जाकर उसकी इत्तला सब रजिस्ट्रार भदोही को प्रेषित की जावे। बसदूर डिग्री हुकुम इम्तिनाई दवामी बहक वादिनी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से फरमायी जावे कि प्रतिवादीगण आराजियत निजाई मुंदर्ज जैल आराजी नालिश हाजा से वादिनी को बेदखल न करें न वादिनी के मुस्तर्का स्वामित्व एवं आधिपत्य में अनधिकृत हस्तक्षप करे, न आराजियत निजाई मुंदर्ज जैल अर्जी नालिश हाजा को ट्रांसफर करें। खर्चा की भी डिक्री बहक वादिनी विरुद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमायी जावें। तफसील आराजियत निजाई वाका मौजा नेवादा खुर्द ता० चौथार परगना व तफसील भदोही जिला संत रविदास नगर भदोही। आराजी नं०- 11 मि० रकबा 0.243 हे० में 1/2 हिस्सा, आराजी नं० 13 रकबा 0.107 हे० में 1/2 हिस्सा, आराजी नं०-9/253 मि० रकबा 0.026 हे० में 1/2 हिस्सा, आराजी नं०-11 मि० रकबा 0.111 हे० संपूर्ण, आराजी नं०-14 रकबा 0.037 हे० संपूर्ण, आराजी नं०-187/3 रकबा 0.126 हे० संपूर्ण। टोटल रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा 11 धूर जो वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 का हिस्सा है।

3. **प्रतिवादीगण द्वारा** अपने जवाब दावा 22 क के माध्यम से यह कथन किया गया है कि मुद्दईया मुकदमा उपरोक्त गलत व फर्जी बयानात पर दाखिल किया है जिसकी कोई असलियत नहीं है जो हर आइना काबिल ए खारिज व खारिज होने योग्य है। मुद्दईया व मुद्दालेह नं०-2 आपस में सगी बहने है। विवादित आराजियत मुद्दालेह नं०-2 के पिता चतुरी की नीजी मिल्कियत है और उसके असल मालिक मुतवफी

चतुरी रहे। मुतवफी चतुरी को कोई लड़का नहीं रहा मात्र दो लड़कियां मुद्दईया व मुद्दालेह नं०-2 है। मुद्दईया पान कुमारी सबसे बड़ी लड़की है और उसकी शादी बहुत पहले मुतवफी चतुरी ने बांकलाल निवासी बहुतराखुर्द के साथ कर दिये थे और वह अपने ससुराल में बाल बच्चों के साथ आबाद हो गयी। मुद्दालेह नं०-2 चतुरी की छोटी लड़की रही और मुतवफी चतुरी का सेवा टहल, रहन-सहन का ख्याल देखरेख करती रही बादहू मुद्दालेह नं०-2 की शादी मुद्दालेह नं०-1 हरिशंकर के साथ हुयी। शादी के बाद मुद्दालेह नं०-2 अपने पति के साथ पिता चतुरी की देखरेख करने के लिए अपने पति के साथ पिता के ही घर पर रह गयी और आज तक है। मुतवफी चतुरी के देखरेख दवा दारू खान पान का पूरा खर्चा मुद्दालेह नं०-1 करता रहा और जब तक जिंदा रहे तब तक उनका सभी प्रकार से रख रखाव व देखभाल की। मुद्दईया व उसके पति बहुत ही चालाक, फितरतबाज, मुकदमेबाज असखास है। मुद्दईया ने मुतवफी चतुरी को सन् 2007 में दवा के बहाने ले जाकर अपने व मुद्दालेह नं०-2 के नाम दिनांक 16/11/2007 को एक रजिस्टर्ड वसीयत करा लिया जबकि मुतवफी चतुरी कोई वसीयत नहीं करना चाहते थे क्योंकि मुतवफी चतुरी का देखरेख रख रखाव पूरा का पूरा व्यवस्था मुद्दालेह करते थे। बादहू मुतवफी चतुरी को जब मुद्दईया के फेलबेजा की जानकारी हुयी तो उन्होंने दिनांक 03/11/2010 को अपने संपूर्ण चल अचल संपत्ति के बाबत एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा मुद्दालेह नं०-1 के हक में तहरीर किये व रजिस्टरी ऑफिस से रजिस्टर्ड कराये तथा आराजियत के निस्वत अपने राजी खुशी से बिला किसी और दबाव के समझ-बूझकर दिनांक 03/11/2010 को आराजियत निजाई को रजिस्टर्ड दस्तावेज बैनामा तहरीर करके रजिस्टरी किया और दस्तावेज रजिस्ट्रार भदोही के सामने रजिस्टर्ड हुआ। आराजियत निजाई पर बैनामा के पहले व बैनामा के बाद मुद्दालेह काबिज दखील है। मुतवफी चतुरी को बिमारी पर गृहस्थी का खर्च भी मुद्दालेह नं०-1 देता रहा जिसके एवज में चतुरी आराजियत निजाई का मुद्दालेह नं०-1 के हक में बैनामा तहरीर करके अपने जीवनकाल में ही कब्जा दखल दे दिया और उनके जीवनकाल में ही आराजियत निजाई पर मुद्दालेह नं०-1 बहैसियत असल मालिक व भूमिधर काबिज व दखील है। मुतवफी चतुरी 82 साल का होकर मरे थे और उनका दिमागी कूबत व शारीरिक क्षमता पूर्ण रूप से दुरुस्त रहा तथा उनके सोचने समझने की दक्षता मरते दम तक बरकरार रहा। मुतवफी चतुरी खुद अपने इच्छा से अपने संपत्ति का अपने जीवनकाल में ही निस्तारण किया था।

मुतवफी चतुरी को सोचने-समझने की बखूबी काबूलियत थी और उन्होंने खुद रजिस्टरी ऑफिस भदोही आकर अपने इच्छानुसार अपने आराजियत का अपने मर्जी से मुद्दालेह नं०-1 हक में दिनांक 03/11/2010 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा व आराजियत निजाई का दस्तावेज रजिस्टरी बैनामा लिख व लिखवाकर पढ व पढवाकर सुन व समझकर रूबरू गवाहान दस्तखत करके रजिस्टार महोदय भदोही के सामने रजिस्टर्ड कराया। मुद्दालेहुम आराजियत निजाई पर काबिज दखील बतौर असल मालिक काबिज दखील है और फसल कास्त किये हुये है। विवादित आराजियत की मालियत सरकारी दर से करीब सात लाख रुपया के ऊपर है और मुद्दईया दावा का कोर्ट फीस कम अदा किया है मालियत के बिना पर दावा हाजा का अधिकार क्षेत्र इस न्यायालय से बाहर है। दावा हाजा हर आइना काबिल एखराज है। खारिज होने योग्य है।

4. उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर निम्न वाद बिंदु विरचित किये गये-

- i. क्या वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 विवादित भूमि के संक्रमणीय भूमिधर मालिक, काबिज दखील है?
- ii. क्या वादपत्र के कथनानुसार प्रश्नगत बैनामा दिनांकित 03/11/2010 एवं प्रश्नगत वसीयतनामा दिनांक 03/11/2010 वादपत्र में वर्णित आधारों पर मंसूख किये जाने योग्य है?
- iii. क्या वादिनी ने वाद का मूल्यांकन कम किया है?
- iv. क्या वादिनी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
- v. क्या वादिनी को वाद का कारण उत्पन्न हुआ है?
- vi. क्या न्यायालय को दावा वादी की सुनवाई का आर्थिक क्षेत्राधिकारी प्राप्त है?
- vii. क्या वादपत्र के कथनानुसार वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 विवादित आराजियत पर संयुक्त रूप से काबिज दखील है?
- viii. क्या दावा वादी काल बाधित है?
- ix. क्या दावा वादी पोषणीय है?
- x. वादिनी किसी अनुतोष को पाने की अधिकारिणी है?

05. वादिनी की ओर से बतौर अभिलेखीय साक्ष्य निम्नलिखित प्रपत्र दाखिल किये गये है-

फेहरिस्त 8 ग के माध्यम से

- i. नकल दस्तावेज बैनामा नविस्त चतुरी मौसूख हरिशंकर नगदी मुबलिग
2,00,000/- तहरीर 03/11/2010 मौजा नेवादा खुर्द -कागज संख्या
11 ग/1 से 11 ग/21
- ii. उद्धरण खतौनी नेवादा खुर्द फसली वर्ष 1413-1418 बरवक्त खाता संख्या
30 चतुरी- कागज संख्या 9 ग/1
- iii. उद्धरण खतौनी मूल नेवाद खुर्द फसली वर्ष 1413-1418 बरवक्त खाता
संख्या 31 चतुरी-कागज संख्या 8 ग
- iv. उद्धरण खतौनी मूल नेवाद खुर्द फसली वर्ष 1413-1418 बरवक्त खाता
संख्या 149 चतुरी-कागज संख्या 9 ग/3
- v. प्रमाणित उद्धरण खसरा नेवादा खुर्द बरवक्त खाता संख्या 11, 13,14,
9/253- कागज संख्या 10 ग/1-
- vi. प्रमाणित उद्धरण खसरा नेवादा खुर्द बरवक्त खाता संख्या 137/3-
10 ग/2
- vii. फोटोस्टेट कॉपी दिनांकित 16/11/2007-कागज संख्या 11 ग/22-11 ग/
29
- viii. फोटोस्टेट कॉपी वसीयतनामा दिनांकित 07/01/2008 कागज संख्या-
11 ग/30-11 ग/34

फेहरिस्त 34 ग के माध्यम से

- i. मूल वसियतनामा दिनांकित 16/11/2007 मौजा नेवादा खुर्द - कागज
संख्या 35 क/1-35 क/8
- ii. मूल वसियतनामा दिनांकित 07/01/2008 वाका मौजा नेवादा खुर्द-
कागज संख्या 36 क/1-36 क/5

फेहरिस्त 26 ग के माध्यम से

- i. नकल दस्तावेज वसीयतनामा नविस्ता चतुरी मौजा हरिशंकर तहरीर
03/11/2010 कागज संख्या 27 ग/2-27 ग/6

06. प्रतिवादीगण द्वारा फेहरिस्त 20 ग कागज संख्या-20 ग/1-20 ग/5 के माध्यम से वसीयतनामा दिनांकित 03/11/2010 व कागज संख्या-21 ग/1-21 ग/20 के माध्यम से बैनामा दिनांकित 03/11/2010 दाखिल किया।

07. वादिनी द्वारा बतौर मौखिक साक्ष्य पी०डब्ल्यू०-1 पान कुमारी पत्नी बाकेलाल व पी०डब्ल्यू०-2 विजय शंकर पुत्र शिवकुमार, पी०डब्ल्यू०-3 ओमप्रकाश पुत्र झगडूराम का साक्ष्य शपथपत्र दाखिल किया। पी०डब्ल्यू०-1 पानकुमारी से दिनांक 05/11/2014 को, पी०डब्ल्यू०-2 विजय शंकर से दिनांक 31/05/2018 व पी०डब्ल्यू०-3 से दिनांक 07/08/2018 को जिरह किया गया। दिनांक 03/11/2018 को वादिनी द्वारा अन्य साक्ष्य न देने का पृष्ठांकन करने के उपरांत वादिनी का साक्ष्य समाप्त किया गया।
08. प्रतिवादीगण द्वारा बतौर मौखिक संख्या डी०डब्ल्यू०-01 श्यामा देबी पत्नी हरिशंकर का साक्ष्य शपथपत्र दाखिल किया गया जिनसे जिरह नहीं की गयी और दिनांक 31/03/2023 को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा जिरह का अवसर समाप्त किया गया और पत्रावली शेष प्रतिवादी साक्ष्य पर नियत की गयी। तदोपरांत प्रतिवादी द्वारा अन्य किसी साक्ष्य को प्रस्तुत न करने पर दिनांक 16/10/2023 को प्रतिवादी साक्ष्य का अवसर समाप्त कर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।
09. पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

निष्कर्ष

10. निस्तारण वाद बिंदु संख्या-02

वाद बिंदु संख्या-02 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादपत्र के कथनानुसार प्रश्नगत बैनामा दिनांकित 03/11/2010 एवं प्रश्नगत वसीयतनामा दिनांक 03/11/2010 वादपत्र में वर्णित आधारों पर मंसूख किये जाने योग्य है?

उक्त वाद बिंदु को साबित करने का भार वादी पर है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वादी को अपने द्वारा प्रस्तुत तथ्य को सारवान साक्ष्य से साबित करना होता है। वादी प्रतिवादी के कमजोरी का लाभ नहीं उठा सकता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 में यह उल्लेख किया गया है कि- "जो कोई न्यायालय से चाहता है कि वह किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय ले जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है जिन्हें वह प्रख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि वह उन तथ्यों का अस्तित्व है।"

विधि व्यवस्था रत्नागिरी नगर परिषद बनाम गंगा राम नारायण अंबेडकर (2020) 7 एससीसी 275 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि –

"The first appellate Court committed palpable error in not keeping in mind that the initial burden of proof was on the plaintiffs to substantiate their cause for actionable nuisance, which they had failed to discharge. In such a case, the weakness in the defence cannot be the basis to grant relief to the plaintiffs and to shift the burden on the defendants, as the case may be." जो कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध होता है, तो यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है।

प्रस्तुत दावा वादिनी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध हुकुम इम्तिनाई, बैनामा दिनांकित 03/11/2010 व वसीयतनामा दिनांकित 03/11/2010 की मंसूखी के अनुतोष हेतु योजित किया गया है।

संक्षेप में वादिनी द्वारा यह कथन किया गया है कि वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 के पिता चतुरी की मृत्यु लंबी बीमारी के पश्चात दिनांक 06/11/2010 को हो गयी। वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 को कोई भाई नहीं है। वादिनी के पिता चतुरी की मृत्यु करीब 93 वर्ष की अवस्था में हुई। वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 सगी बहने हैं और दोनों बारी बारी से अपने पिता चतुरी की सेवा अपने ससुराल से आकर मायके में रहकर करती रही और खेती बारी का प्रबंध करती रही। चतुरी ने स्वयं एक किता दस्तावेज वसीयतनामा दिनांक 16/11/2007 को वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 के हक में स्वेच्छया तहरीर करके रजिस्ट्री करा दिया बादहूँ पिता वादिनी चतुरी ने एक किता अंतिम वसीयतनामा वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 के हक में अपनी सारी चल व अचल संपत्ति के सम्बन्ध में स्वयं दिनांक 07/01/2008 को तहरीर करके रजिस्ट्री करा दिया और वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 को अपना जायज व कानूनी वारिस छोड़कर वफात कर गये। प्रतिवादी संख्या-1 हरिशंकर प्रतिवादिनी संख्या-2 श्यामा के पति हैं और वे चालाक किस्म के व्यक्ति हैं। प्रतिवादी संख्या-1 हरिशंकर ने वादिनी के पिता चतुरी को इलाज के बहाने रजिस्ट्री दफ्तर भदोही ले जाकर बिना किसी प्रतिफल के, बिना चतुरी को कोई जानकारी दिये आराजियत निजाई मुंदर्ज जैल नक्शा नजरी अर्जी नालिश

हाजा का बसाजिश अपने नाम से दिनांक 03/11/2010 को दस्तावेज बैनामा तहरीर किया। उसी दिन दिनांक 03/11/2010 को प्रतिवादी संख्या-1 ने चतुरी को धोखा देकर चतुरी की चल अचल संपत्ति का वसीयतनामा अपने नाम से हासिल कर लिया। प्रतिवादी संख्या-1 ने एक भी हिब्बा चतुरी को दस्तावेज बैनामा के एवज में नहीं दिया था, न तो मुतवफी चतुरी को रुपये की आवश्यकता ही थी न ही चतुरी दिनांक 03/11/2010 को चेतना अवस्था में ही थे। प्रतिवादिगण द्वारा अपने जवाबदावे में यह कथन किया कि मुद्दालेह नं० -2 चतुरी की छोटी लड़की है और चतुरी का सेवा, रहन-सहन का ख्याल देखरेख करती रही बादहू मुद्दालेह नं०-2 की शादी मुद्दालेह नं०-1 हरिशंकर के साथ हुयी। शादी के बाद मुद्दालेह नं०-2 पिता चतुरी की देखरेख करने के लिए अपने पति के साथ पिता के ही घर पर रह गयी और आज तक है। मुद्दईया ने मुतवफी चतुरी को सन् 2007 में दवा के बहाने ले जाकर अपने व मुद्दालेह नं० -2 के नाम दिनांक 16/11/2007 को एक रजिस्टर्ड वसीयत करा लिया जबकि मुतवफी चतुरी कोई वसीयत नहीं करना चाहते थे क्योंकि मुतवफी चतुरी की देखरेख की पूरी व्यवस्था मुद्दालेह करते है। बादहू मुतवफी चतुरी को जब मुद्दईया के फेलबेजा की जानकारी हुयी तो उन्होंने दिनांक 03/11/2010 को अपने संपूर्ण चल अचल संपत्ति के बाबत एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा मुद्दालेह नं०-1 के हक में तहरीर किया व रजिस्टरी ऑफिस से रजिस्टर्ड कराये तथा आराजियत के निस्वत अपने राजी खुशी से बिना किसी दबाव के समझ-बूझकर दिनांक 03/11/2010 को आराजियत निजाई के सम्बन्ध में रजिस्टर्ड दस्तावेज बैनामा तहरीर करके रजिस्टरी किया और दस्तावेज रजिस्ट्रार भदोही के सामने रजिस्टर्ड हुआ। आराजियत निजाई पर बैनामा के पहले व बैनामा के बाद मुद्दालेह काबिज दखील है। चतुरी 82 साल का होकर मरे थे और उनका दिमागी कूबत व शारीरिक क्षमता पूर्ण रूप से दुरुस्त रहा तथा उनके सोचने समझने की दक्षता मरते दम तक बरकरार थी। मुतवफी चतुरी ने खुद अपनी इच्छा से अपने संपत्ति का अपने जीवनकाल में ही निस्तारण किया था। चतुरी खुद रजिस्टरी ऑफिस भदोही आकर अपने इच्छानुसार अपने आराजियत का अपने मर्जी से मुद्दालेह नं० -1 हक में दिनांक 03/11/2010 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा व आराजियत निजाई का दस्तावेज रजिस्टरी बैनामा लिख व लिखवाकर पढ व पढवाकर सुन व समझकर रूबरू गवाहान दस्तखत करके रजिस्टार महोदय भदोही के सामने रजिस्टर्ड कराया।

बैनामा दिनांकित 03.11.2010 और वसीयतनामा दिनांकित 03.11.2010 जिसके मंसूखी के अनुतोष हेतु वादिनी द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया है पंजीकृत अभिलेख है। वादिनी द्वारा कथन किया गया है कि उक्त विलेख प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा चतुरी को धोखा दे कर उनकी अवस्था का लाभ उठा कर अपने पक्ष में निष्पादितकरवा लिए गए है। धोखाधड़ी का तथ्य एक परिस्थितिजन्य तथ्य है जिसे समुचित साक्ष्य प्रस्तुत कर साबित करने का भार वादी पर है। विधि व्यस्था प्रेम सिंह वह अन्य बनाम बीरबल व अन्य 2006 SCC 353 में यह अवधारीत किया गया है कि-

"There is a presumption that a registered document is validly executed. A registered document, therefore, prima facie would be valid in law. The onus of proof, thus, would be on a person who leads evidence to rebut the presumption."

अतः वादिनी को यह साबित करना होगा कि बैनामा दिनांकित 03/11/2010 व वसीयतनामा दिनांकित 03/11/2010 जो चतुरी द्वारा प्रतिवादी संख्या-1 के पक्ष में निष्पादित किये गये है, वो धोखाधड़ी से चतुरी की अवस्था का लाभ उठाते हुए निष्पादित कराए गये। बतौर पी० डब्ल्यू० 1 वादिनी पान कुमारी द्वारा अपनी जिरह दिनांकित 05.11.2014 में स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि- "चतुरी कब बैनामा लिखा सन याद नहीं। बैनामा कब लिखा गया मुझे याद नहीं। किस किस नंबर का बैनामा हुआ मुझे याद नहीं।... इस समय कागज में किसका नाम दर्ज है नाम नही पता है।"

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी० डब्ल्यू० 3 ओम प्रकाश द्वारा अपनी जिरह दिनांकित 07.08.2018 में यह कथन किया गया है कि- "चतुरी कब बैनामा किए इसकी कोई जानकारी नहीं है। चतुरी कोई वसीयत लिखे हैं इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं यह भी नही जानता हूं कि चतुराई ने बैनामा और वसीयत में क्या क्या लिखा है। इस मुकदमे में क्या लिखा है इसकी मुझे जानकारी नहीं है।"

वादिनी द्वारा डी०डब्ल्यू०-1 श्यामा देबी जो बैनामे की गवाह है, से पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी जिरह नही की गयी जिसके उपरांत न्यायालय द्वारा दिनांक 31/03/2023 को जिरह का अवसर समाप्त किया गया। वादिनी द्वारा अन्य कोई ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह साबित हो सके कि

उपर लिखित पंजीकृत विलेख बैनामा दिनांक 03/11/2010 व वसीयतनामा दिनांकित 03/11/2010 धोखाधड़ी करके निष्पादित कराये गये है।

वादिनी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि पंजीकृत बैनामा दिनांकित 03/11/2010 बिना किसी प्रतिफल के निष्पादित किया गया किंतु उक्त कथन साबित करने हेतु वादिनी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में वादिनी द्वारा यह कथन किया गया है कि चतुरी ने दिनांक 16/11/2007 व 07/01/2008 को वसीयतनामा वादिनी व प्रतिवादी संख्या-2 के पक्ष में तहरीर किया। प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक 03/11/2010 को चतुरी ने पंजीकृत वसीयतनामा उसके पक्ष में तहरीर कर दिया था। विधि व्यस्था **बिशन श्री बनाम सूरजमुखी व अन्य ए०आई०आर० 1966 इलाहाबाद 563** में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने यह अवधरित किया है कि -

"A will merely expresses the intention of the testator regarding the manner in which his property should, after his death, go to the persons named in the document. Every testator can change his intention at any time during his lifetime. Under the law only the last will of the testator prevails over the general rules of inheritance."

चूंकि वसीयतनामा दिनांकित 03.11.2023 चतुरी द्वारा किए गए वसीयतनामा दिनांकित 16.11.2007 और 07.01.2008 के बाद किया गया है और अंतिम पंजीकृत वसीयतनामा है इसीलिए यह प्रभावी माना जाएगा।

अतः वादी द्वारा ऐसा कोई समुचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस से यह साबित हो सके की उपर लिखित पंजीकृत विलेख के निष्पादन में किसी प्रकार का कपट हुआ हो। उपरोक्त विश्लेषण के संबंध में यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि सिविलवाद के साक्ष्य के मूल्यांकन का आधार प्रीपोंडरेंस का प्रोबेबिलिटी (**preponderance of probability**) के सिद्धांतों पर आधारित होता है अर्थात् प्रस्तुत किए गए तथ्यों में जो तथ्य सबसे अधिक संभव है उसी के आधार पर सिविल वाद का निर्धारण होता है।

उपरोक्त तथ्य, परिस्थितियों, दस्तावेजी साक्ष्यों एवं उल्लिखित न्याय दृष्टांतों का सम्यक परिशीलन करने के उपरांत न्यायालय का मत है कि विवादित दस्तावेज बैनामा दिनांकित 03/11/2010 व वसीयतनामा दिनांकित 03/11/2010 के

सम्बन्ध में वादिनी पूर्ण रूप से साबित करने में असफल रही है कि प्रतिवादी संख्या-1 द्वारा चतुरी से उक्त दस्तावेज का निष्पादन धोखाधड़ी करते हुए कराया गया था। अतः वाद बिंदु संख्या-2 वादिनी के विरुद्ध निस्तारित किया किए जाने योग्य है।

वाद बिंदु संख्या-2 वादिनी के विरुद्ध निस्तारित किया जाता है।

11. निस्तारण वाद बिंदु संख्या-01 और वाद बिंदु संख्या 07

वाद बिंदु संख्या-01 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादिनी और प्रतिवादिनी संख्या-2 विवादित भूमि के संक्रमणीय भूमिधर मालिक, काबिज दखील है?

वाद बिंदु संख्या-07 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादपत्र के कथनानुसार वादिनी व प्रतिवादिनी संख्या-2 विवादित आराजियत पर संयुक्त रूप से काबिज दखील है?

सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त दोनों वाद बिंदु का निस्तारण साथ में किया जा रहा है।

वादिनी द्वारा कथन किया गया है कि चतुरी पुत्र कालू निवासी नेवासा खुर्द ता० चौथार परगना व तहसील भदोही जिला संत रविदास नगर भदोही की दो लड़कियां वादिनी पानकुमारी व प्रतिवादिनी संख्या-2 श्यामा देबी हैं और चतुरी की एक मात्र जायज व कानूनी वारिस हैं और चतुरी की जमीन जायदाद पर बतौर मालिक वारिस काबिज दाखिल चली आ रही हैं। वादी द्वारा वसीयतनामा दिनांकित 16.11.2007 और 07.01.2008 के आधार पर उक्त विवादित भूमि पर अपना और प्रतिवादी संख्या दो का मालिकाना हक वह कब्जा दखल होने की बात का कथन किया गया है। प्रतिवादी द्वारा अपने जवाबदावा में कथन किया गया है कि चतुरी ने दिनांक 03/11/2010 को अपने संपूर्ण चल अचल संपत्ति के बाबत एक रजिस्टर्ड वसीयतनामा प्रतिवादी संख्या-1 के हक में तहरीर कर दिया और आराजी निजाई के सम्बन्ध में एक रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 03/11/2010 को तहरीर कर कब्जा दखल दे दिया और तब से प्रतिवादी संख्या-1 बहसियत मालिक काबिज दाखिल चले आ रहे हैं।

वादिनी द्वारा दाखिल खतौनी कागज संख्या-9 ग, 8 ग/2 और 9 ग/3 व खसरा 10 ग व 10 ग/2 में वादिनी का नाम अंकित नहीं है। वादिनी पान कुमारी

द्वारा बौतर पी० डब्ल्यू० 1 अपनी जिरह दिनांकित 05/11/2014 में स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि-

"मेरा घर बहुतरा है। जब मेरी बहन छोटी थी तब मेरी शादी हो गई है। जब से शादी हुई है तबसे बहुतारा रह रही हूं।"

पी० डब्ल्यू० 3 ओमप्रकाश द्वारा अपनी जिरह दिनांकित 07/08/2018 में स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि-

"पानकुमारी बहुतरा रहती है। पानकुमारी शादी के बाद से बहुतरा रहती है। पान कुमारी की शादी के बाद की मेरी पैदाइश है। पानकुमारी कितने साल से बहुतरा रहती है यह नहीं बता सकता हूं। वह मेरी पैदाइश से पहले बहुतरा रहती थी। श्यामा देबी चतुरी के घर पर रहती है। श्यामा देबी शादी के बाद अपने घर पर ही रहती है। श्यामा देबी चतुरी के जिस घर में रहती है वो चतुरी का कच्चा पुराना मकान है।"

जहां एक तरफ वादिनी द्वारा विवादित आराजी पर अपना व प्रतिवादिनी संख्या-2 का कब्जा दखल होने की बात का कथन किया गया है वहीं उसके द्वारा प्रस्तुत साक्षी ने उक्त बात का समर्थन नहीं किया है। पी०डब्ल्यू० -3 द्वारा प्रतिवादिनी संख्या-2 श्यामा देबी का विवादित आराजी पर कब्जा होना स्वीकार किया गया है किंतु वादिनी के कब्जे के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि जहां एक तरफ वादी द्वारा विवादित आराजियत पर अपना और प्रतिवादी संख्या-2 का संयुक्त रूप से कब्जा दखल होने की बात का कथन किया गया है वहीं उसके द्वारा प्रस्तुत साक्षी ने उक्त बात का खण्डन करते हुए बिल्कुल विपरीत कथन किया है। वादिनी के अभिवचनों और उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में विरोधाभास है। विधि व्यवस्था काशीनाथ मृतक द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम जगन्नाथ 2004 ए०जी०जे० पेज 297 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि यदि अभिवचनों और साक्ष्य में विरोधाभास होगा तो इसका प्रभाव कहने वाले के विपरीत होगा। अतः वादिनी अपने साक्ष्य के माध्यम से विवादित भूमि पर अपना कब्जा दखल साबित करने में असमर्थ है।

चूंकि वाद बिंदु संख्या-2 के निस्तारण से यह स्पष्ट है कि वादिनी बैनामा दिनांकित 03/11/2010 और वसीयतनामा दिनांकित 03/11/2010 जो चतुरी द्वारा प्रतिवादी संख्या-1 के पक्ष में निष्पादित किया गया है को मंसूख कराने के संबंध में अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है फलस्वरूप वादिनी विवादित भूमि

पर अपना मालिकाना हक व कब्जा दखल भी साबित करने में असफल है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय का यह अभिमत है कि वाद बिंदु संख्या-2 व 7 वादिनी के विरुद्ध निर्णीत किए जाने योग्य है।

अतः वाद बिंदु संख्या-2 व 7 वादिनी के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

12. निस्तारण वाद बिंदु संख्या-03

वाद बिंदु संख्या-03 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादिनी ने वाद का मूल्यांकन कम किया है?

वाद बिंदु संख्या-03 का निस्तारण दिनांक 07/10/2013 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जा चुका है जो इस निर्णय का अंश होगा।

13. निस्तारण वाद बिंदु संख्या-04

वाद बिंदु संख्या-04 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादिनी द्वारा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

वाद बिंदु संख्या -04 का निस्तारण दिनांक 07/10/2013 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जा चुका है जो इस निर्णय का अंश होगा।

14. निस्तारण वाद बिंदु संख्या-05

वाद बिंदु संख्या-05 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादिनी को वाद का कारण उत्पन्न हुआ है?

वाद बिंदु संख्या -05 का निस्तारण दिनांक 07/10/2013 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जा चुका है जो इस निर्णय का अंश होगा।

15. निस्तारण वाद बिंदु संख्या-06

वाद बिंदु संख्या-06 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या न्यायालय को दावा वादिनी की सुनवाई का आर्थिक क्षेत्राधिकारी प्राप्त है?

वाद बिंदु संख्या -06 का निस्तारण दिनांक 07/10/2013 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जा चुका है जो इस निर्णय का अंश होगा।

16. निस्तारण वाद बिंदु संख्या-08

वाद बिंदु संख्या-08 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादिनी काल बाधित है?

वाद बिंदु संख्या-08 का निस्तारण दिनांक 07/10/2013 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जा चुका है जो इस निर्णय का अंश होगा।

17. निस्तारण वाद बिंदु संख्या-09

वाद बिंदु संख्या-09 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या दावा वादिनी पोषणीय है?

वाद बिंदु संख्या-09 का निस्तारण दिनांक 07/10/2013 को पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जा चुका है जो इस निर्णय का अंश होगा।

18. निस्तारण वाद बिंदु संख्या-10

वाद बिंदु संख्या-10 इस आशय का विरचित किया गया है कि वादिनी किसी अनुतोष को पाने की अधिकारिणी है?

उपरोक्त विश्लेषण से न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि वादिनी द्वारा बैनामा दिनांकित 03/11/2010 व वसीयतनामा दिनांकित 03/11/2010 को मंसूख किये जाने के सम्बन्ध में कोई भी पर्याप्त आधार प्रस्तुत नहीं किये गये। वाद बिंदु संख्या-2 के निस्तारण के उपरांत न्यायालय का यह अभिमत है कि वादिनी को बैनामा दिनांक 03/11/2010 व वसीयतनामा दिनांकित 03/11/2010 को मंसूख किये जाने का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त वादिनी द्वारा हुकुम इम्तिनाई की भी याचना की गयी है जिसके सम्बन्ध में पत्रावली पर दाखिल खतौनी कागज संख्या-9 ग/1, 8 ग/2, 9 ग/3 व खसरा कागज संख्या-10 ग/1 व 10 ग/2 से स्पष्ट है कि वादिनी का नाम उक्त

विवादित आराजी से सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज नहीं है और वादिनी द्वारा ऐसा कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादिनी का कब्जा दखल साबित होता हो। अतः वाद बिंदु संख्या-10 वादिनी के विरुद्ध निर्णित किए जाने योग्य है।

अतः वाद बिंदु संख्या-10 वादिनी के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण के उपरांत न्यायालय का अभिमत है कि दावा वादिनी निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

19. दावा वादिनी खारिज किया जाता है।

दिनांक: 27/10/2023

[शिंजिनी यादव]

अपर सिविल जज [जू०डि०] द्वितीय
भदोही-ज्ञानपुर।

20. यह निर्णय एवं आदेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक: 27/10/2023

[शिंजिनी यादव]

अपर सिविल जज [जू०डि०] द्वितीय
भदोही-ज्ञानपुर।